



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला(कांगड़ा)-176213

क्रमांक:हिशिबो(19)CF-24-2023/- 77771-77775

दिनांक:- 23-02-2023

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा विनियम के नियम 9.15.1 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सितम्बर, 2022 में मैट्रिक कक्षा के नियमित Term-I के निम्न परीक्षार्थी को सम्बन्धित विषय की उत्तरपुस्तिका की अनुपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षा हेतु विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। इस परीक्षा का संचालन निम्नप्रकार से किया जाएगा:-

Sr. No.	Class	Roll No.	Centre	Subject	Date & Time
1.	Matric	2313025021	3025-GSSS Jahal, District Mandi	Mathmatics	02.03.2023 (9.45AM-1.00PM)

परीक्षा का संचालन सम्बन्धित प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक के समन्वयन में होगा। परीक्षा सामग्री बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त संवाहक के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाई जानी है। बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा संचालन के लिए सहायक समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे तथा परीक्षा के संचालन की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे। परीक्षा समाप्ति पर समस्त परीक्षा सामग्री परीक्षार्थी की लिखित उत्तरपुस्तिका, शेष बचे प्रश्न पत्र, अलिखित उत्तरपुस्तिकाएं व अन्य सामग्री को अपने साथ लाकर गोपनीय शाखा को संपुर्ण करेंगे।

संलग्न: यथोपरि।

पृष्ठांक संख्या: यथोपरि/

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को विषय वार दिनांक सूची सहित प्रेषित है:-

1. अनुभाग अधिकारी, अध्यक्ष/सचिव, हि0प्र0स्कूल शिक्षा बोर्ड।
2. सम्बन्धित उप निदेशक(प्रारम्भिक/उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
3. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, हि0प्र0स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0सैल को बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने बारे।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/केन्द्र समन्वयक को इस आशय सहित प्रेषित है कि प्रसंगाधीन परीक्षार्थियों की परीक्षा बारे समय पर सूचित करें व इनकी परीक्षा का संचालन विशेष अवसर की परीक्षा के साथ संचालित करवा ली जाये।
6. अनुभाग अधिकारी, मैट्रिक-4 को इस आशय सहित प्रेषित है कि सम्बन्धित परीक्षार्थियों को परीक्षा तिथि/समय व केन्द्र के बारे में अवगत करवा दिया जाये व परीक्षा केन्द्रों को परीक्षार्थी विवरण व हस्ताक्षर चार्ट भी उपलब्ध करवा दिये जायें।
7. अनुभाग अधिकारी, प्रश्न-पत्र निर्धारण/संचालन-2/गोपनीय/संस्थापन शाखा।

सचिव